छुआछूत

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

छुआछूत विरोधी कानून

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

छुआछूत विरोधी कानून

हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई किसी धर्म का, कोई किसी जाति का, कोई धनी तो कोई निर्धन। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये सब लोग अलग–अलग काम करते हैं। कोई आदमी दुकान चलाता है, कोई दर्जी का काम करता है। कोई औरत घास काटती है, कोई सब्जी बेचती है। कोई जूते बनाता है, कोई मंदिर में पुजारी का काम करता है। लेकिन, *एक बात में सभी लोग एक समान हैं। वह यह है कि सभी भारत के नागरिक हैं।*

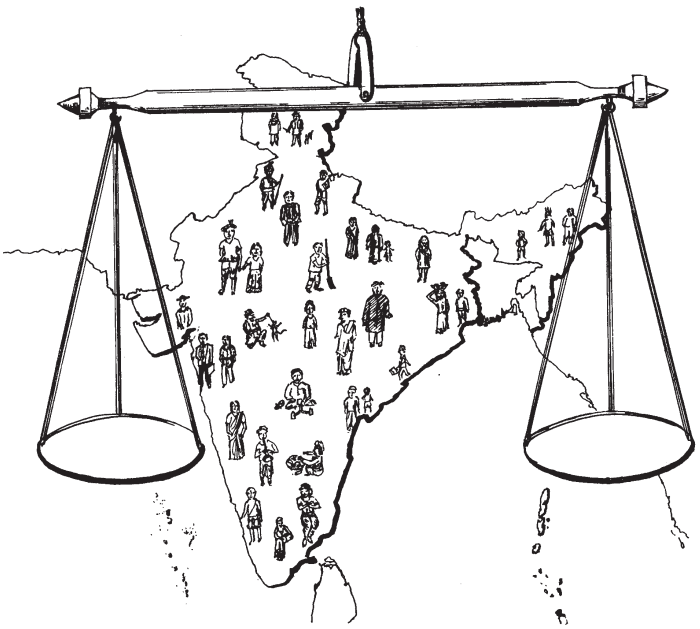

सभी जातियों के लोग समान हैं।

नागरिक होने से क्या होता है ?

एक नागरिक होने के नाते, हमें कई *अधिकार* मिलते हैं। *ये अधिकार सब को एक समान दिये जाते हैं। सरकार के आगे कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता।*

ये अधिकार किस–किस तरह के होते हैं ?

ये अधिकार होते हैं :

- ❖ *स्वतन्त्रता से अपना जीवन बिताना,*
- ❖ *समाज में समान हकदार होना*

क्या हरिजन और छोटी जाति के लोग भी नागरिक हैं– क्या उन्हें भी समान अधिकार है ?

जरूर। यह सच है कि हमारा समाज जाति–भेद से बंटा हुआ है। ऊँची जाति के लोग कमजोर और नीची जाति के कहलाने वाले लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। उन्हें उनके पूरे हक इस्तेमाल करने से रोकते हैं। यह सब अस्पृश्यता या छुआछूत के लिये किया जाता है। *लेकिन ऐसा करने के लिये कानून की मनाही है।*

लेकिन हमें तो जन्म से ही अछूत माना जाता है ? क्या हमें भी समान अधिकार है ?

जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी को यह हक नहीं है कि दूसरे पर अत्याचार करे। छुआछूत और जाति–भेद से समाज में अशांति फैलती है। झगड़े और दंगे होते हैं। ऐसे माहौल में कोई सुख से नहीं रह सकता है। सरकार को पता है कि समाज में 'नीची' जाति, 'अनुसूचित' जाति या 'अछूत' कहलाने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया।

इस कानून का नाम है, **''सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955''।** आइये देखें यह कानून किस तरह से आपकी रक्षा करता है।

इस कानून से :

- *आपके नागरिकता के हितों की रक्षा होती है,*
- *छुआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोक–टोक लगाने वालों को सजा दी जाती है।*

जीवन के हर पहलू के आप बराबर के हकदार हैं।

धर्म से सम्बन्धित बातों में

आपको कानून की तरफ से स्वतन्त्रता है कि आप *बिना किसी रोक के अपने धर्म का पालन करें।* इसका मतलब है कि हर धर्म के लोग आम लोगों की तरह अपने धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं।

हम भी हिन्दू हैं, पर हमें धार्मिक जगहों पर जाने नहीं दिया जाता। क्या यह ठीक है ?

अगर आप किसी भी जाति के हिन्दु हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जा सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो गुरूद्वारे में जा सकते हैं। अगर आप ईसाई हैं तो गिरजाघर में जा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने धर्म से जुड़ी हुई बाकी पवित्र जगहों पर भी जा सकते हैं। गंगा नदी हिन्दूओं के लिये पवित्र मानी जाती है तो किसी भी जाति का हिन्दू गंगा में स्नान करने जा सकता है। कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता।

कजरिया गाँव में एक मन्दिर है, जहाँ सभी हिन्दू पूजा करने जाते हैं। एक दिन लल्लू, जो मोची का काम करता है, अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में गया। पुजारी ने उसे डांट–डपट कर, धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। पुजारी ने कहा, ''ओ लल्लू, तू तो अछूत है। तूने मंदिर को अपवित्र कर दिया। अब मुझे एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी, मन्दिर की शुद्धि के लिए।'' लल्लू को मन्दिर के बाहर कुछ लोगों ने पीटा। गाँव में एक वकील साहब थे। वह जानते थे कि पुजारी ने अपराध किया है, कानून तोड़ा है। वकील साहब की मदद से लल्लू ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। क्या हुआ? पुजारी और पीटने वाले लोगों को जेल हो गई।

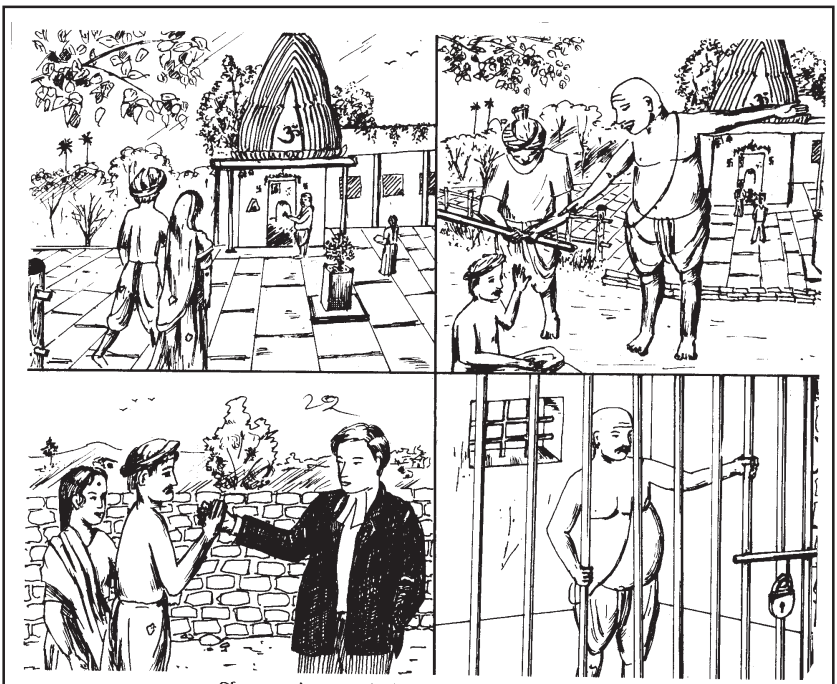

धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक लगाना कानूनी अपराध है।

ठाकुर अवधेश सिंह की उस गाँव में एक बड़ी हवेली है। उस हवेली में उनका एक निजी मन्दिर है। यानि, केवल वे और उनके परिवार के सदस्य वहाँ पूजा करते हैं। ठाकुर ने जाकर वकील साहब से पूछा, ''क्या कानून के अनुसार, मेरे मन्दिर में भी हरिजन को आने का हक है ?'' वकील साहब बोले, ''नहीं कोई भी हक के तौर पर आपके मन्दिर में नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप आम जनता को अपने मन्दिर में आने देते हैं, तो फिर लल्लू को इस कारण नहीं रोक सकते कि वह हरिजन है।

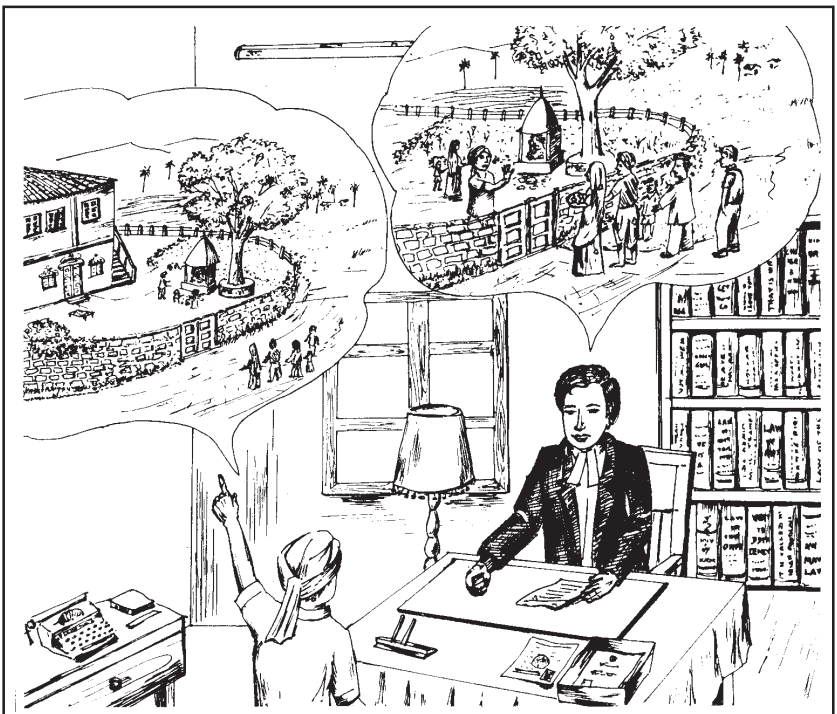

पर किसी के निजी मन्दिर में जाने का हक नहीं है।

सामाजिक जीवन की बातों में

सभी लोगों को समाज में बराबरी से रहने का हक है।

हमारे रोजाना के जीवन में भी छुआछूत के कारण कई तरह से हमें दबाया जाता है। हमें दुकानों, मेलों, सिनेमाघरों, धर्म शालाओं वगैरह में जाने से रोका जाता है। हमें सार्वजनिक बसों, गाड़ियों वगैरह में भी चढ़ने नहीं दिया जाता। सबसे मिलजुल कर

समाज में रहने पर कई पाबन्दियाँ लगाई जाती हैं। **क्या इन सब मामलों में भी कानून हमारी रक्षा कर सकता है ?**

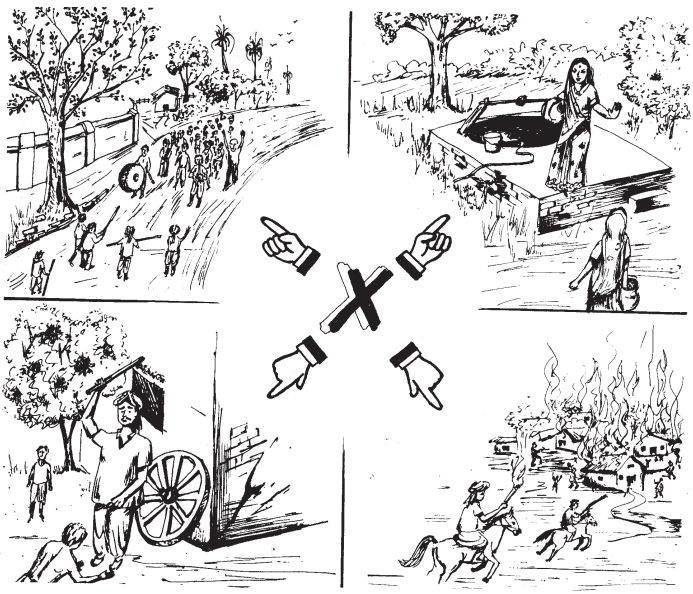

कानून कहता है कि ऐसा सुलूक गलत है।

छुआछूत या जाति–भेद के नाम पर किसी पर रोक लगाना अपराध है। जो ऐसा करे, उसे सजा हो सकती है। पर आप सबको मिलकर अपने हक मांगने होंगे। बैठे रहने से कानून आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के हर अपराध के लिए कानून सजा दे सकता है।

राधा और उसका पति गोपाल अनुसूचित जाति के हैं। वे मजदूरी करते हैं। एक दिन दोनों रामसिंह के ढाबे पर चाय पीने

गये। रामसिंह ने चाय बेचने से इन्कार कर दिया। वह बोला – ''जाओ यहाँ से! मैं अछूतों को चाय नहीं पिलाता।''

क्या रामसिंह ने सही किया ?

नहीं! *जाति–भेद के कारण किसी को कोई चीज न बेचना कानूनी अपराध है।*

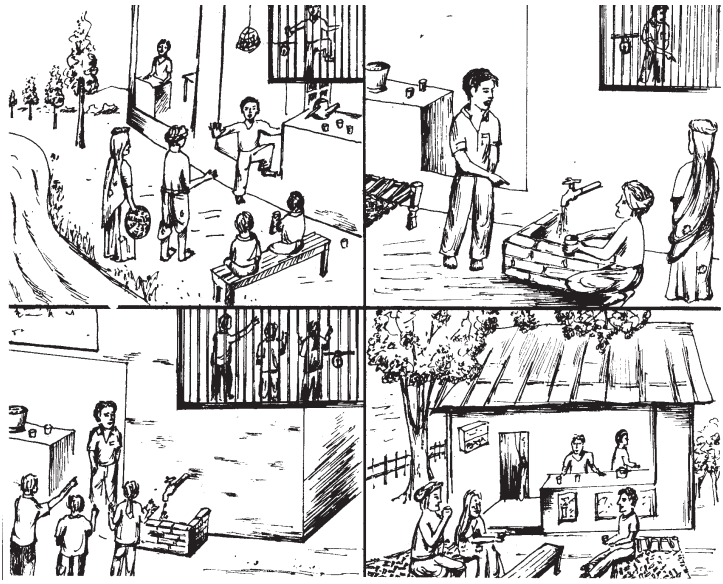

छूआछूत-जातिभेद के अपराधियों को कैद हो सकती है।

राधा और गोपाल फिर किशन की दुकान पर गये। किशन ने कहा, ''ठीक है, मैं चाय तो देता हूँ, पर चाय के कप मांजकर अलग ही रख देना। अछूतों के लिए मैं अलग बर्तन का इस्तेमाल करता हूँ।'

क्या किशन का ऐसा कहना ठीक है ?

नहीं। *किसी सार्वजनिक जगह पर किसी चीज का इस्तेमाल करने से रोकना भी कानूनी अपराध है।*

ढाबे पर कुछ और लोग बैठे थे। उन्होंने किशन को धमकाया। वे बोले – ''अब हम सब तुम्हारे ढाबे पर चाय नहीं पियेंगे। ऊँची जाति के लोग अब यहाँ आना बन्द कर देंगे। तुम्हारा ढाबा बन्द करवा देंगे।''

क्या उन लोगों ने सही किया ?

नहीं। *जाति–भेद या छुआछूत के लिये किसी को धमकाना कानूनी अपराध है। अगर राधा और गोपाल पुलिस में शिकायत करें, तो रामसिंह, किशन और ढाबे पर बैठे उन सभी लोगों को सजा हो सकती है।*

लेकिन हम जिस जाति के हैं, हमें वहीं रहना पड़ता है। हम से जबरदस्ती ऐसे काम करवाये जाते हैं, जिनसे हम अपने जीवन को कभी सुधार नहीं सकते।

आप अगर हिम्मत करें तो कानून जरूर आपकी मदद कर सकता है। आपके आसपास कई लोग होते हैं जो पैसे वाले या

पढ़े–लिखे होते हुए भी आपकी मदद करना चाहते हैं। उनकी सहायता लेनी चाहिये।

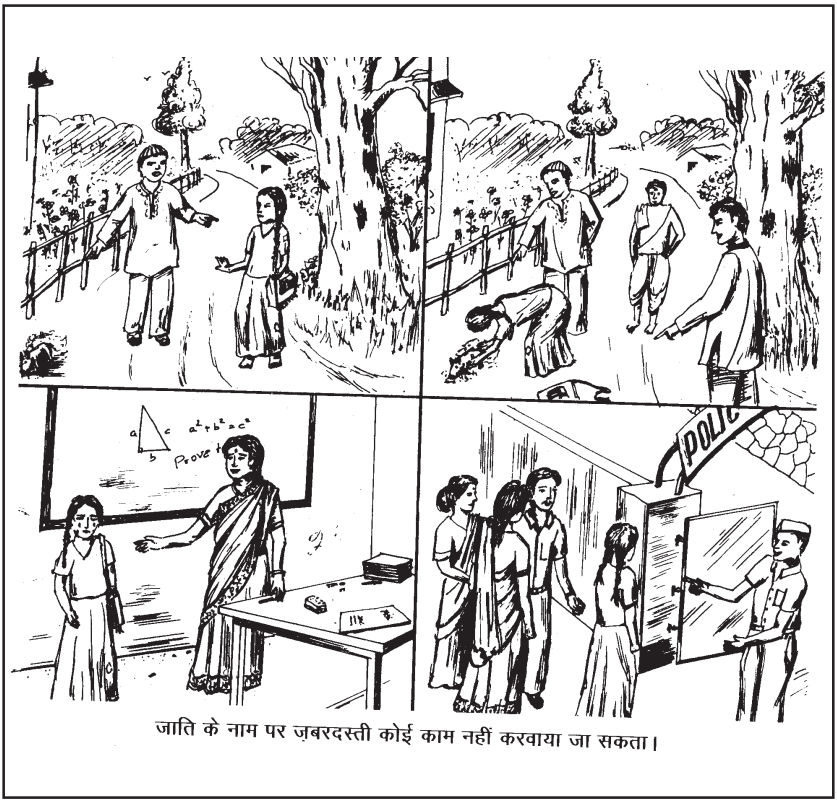

जाति के नाम पर ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता।

सीता के पिताजी सफाई का काम करते हैं। सीता गाँव के स्कूल में पढ़ने जाती है। वह आठवीं कक्षा में है। एक दिन सीता स्कूल जा रही थी। रास्ते में महाजन ने बुलाया। उसने कहा, ''सड़क के किनारे एक सूअर मरा पड़ा है। उसे उठाना है।'' सीता ने कहा, ''बापू तो दूसरे गाँव गये हैं।'' महाजन बोला, ''फिर तुझे

ही उठाना होगा।'' सीता ने कहा, ''मैं यह काम नहीं करूँगी। मैं तो पढ़ने जा रही हूँ।'' गाँव के और लोग भी इकठ्ठे हो गये। मोहन ने कहा, ''स्कूल जाती है तो क्या ? है तो भंगी की छोकरी। चल! जो तेरी जाति का काम है, उसे कर।'' सीता घबरा गयी। उसने मरा हुआ सूअर उठा दिया। सीता रोते–रोते स्कूल पहुँची। मास्टरनी जी ने पूछा, 'क्या हुआ ?' जब सीता की बात उन्हें पता चली तो वह और मास्टर–मास्टरनियों को लेकर थाने गयी। थाने में हवलदार ने भी सीता को धमकाया। वह बोला, ''ऐ भंगन। भाग यहाँ से। दो जमातें पढ़ ली तो उससे तेरी जाति तो नहीं बदली।'' मगर थानेदार साहब ने रिपोर्ट दर्ज की। मैजिस्ट्रेट साहब के आगे मुकदमा चला।

नतीजा क्या निकला ?

- *महाजन को सात महीने की कैद हुई और तीन सौ रूपये जुर्माना,*
- *मोहन को छः महीनों की कैद हुई और दो सौ रूपये जुर्माना*
- *हवलदार को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।*

उनके अपराध क्या थे ?

- *जाति के कारण किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाया।*
- *जाति की गाली देकर किसी को पुकारा और नीचा दिखाया।*

पढ़ना तो क्या, हम तो अपनी पसन्द से कपड़ा और गहना भी नहीं पहन सकते। क्या हमारे जैसे लोगों को यह हक नहीं है ?

आपका काम कैसा भी हो, आपकी जाति कोई भी हो – अच्छे कपड़े पहनना या जेवर पहनना आपका अधिकार है। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता।

अगर आपकी जाति में कोई शादी–ब्याह है, तो अपनी परम्परा या रस्म के अनुसार उसे मनाओ। आप इस बात से डरते होंगे कि गाँव में से बारात को निकलने नहीं दिया जायेगा। ऐसा अक्सर होता है। आप जानना चाहेंगे, राजस्थान में क्या हुआ ?

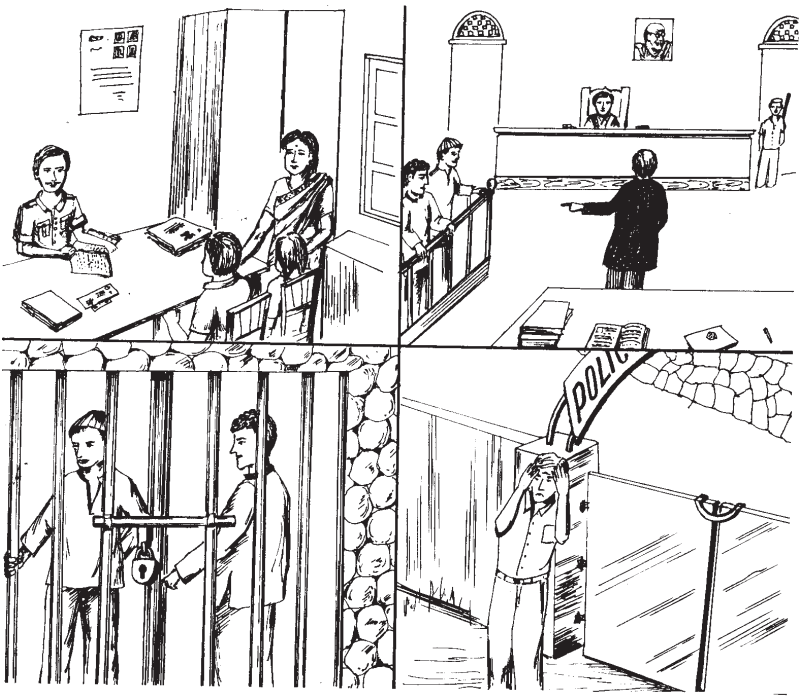

जातिभेद करने वाले को कानून सख्त सज़ा देता है।

एक हरिजन परिवार ने ठान लिया कि वे बारात अपनी परम्परा के अनुसार जरूर निकालेंगे। उन्होंने पहले से ही पुलिस में अपने इरादे की जानकारी दी और पुलिस की सहायता ली। *अगर इन स्थितियों में कोई पुलिस की सहायता मांगे तो पुलिस का फर्ज है कि वह उन लोगों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध करे।* तो वह बारात पुलिस की टोली की सुरक्षा के साथ गाँव में से

निकली। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। परन्तु, वे लोग वहीं गिरफ्तार कर लिए गये और बाद में उन्हें सजा और जुर्माना हुआ।

हमारे यहाँ छोटे–छोटे गाँव होते हैं। वहाँ मुश्किल से एक कुँआ, एक नहाने का घाट, या एक ही हैंड–पम्प होता है। हमें ये सब चीजें इस्तेमाल करने नहीं दी जातीं। हम बहुत परेशान होते हैं। हम क्या करें ?

इन सब सार्वजनिक चीजों का इस्तेमाल करने का हक हर जाति के लोगों को है। यदि कोई उन्हें रोकता है तो वह कानूनी अपराध करता है।

इसी तरह हर जाति के लोगों को अधिकार है कि वे किसी भी सरकारी या सार्वजनिक

- *अस्पताल*
- *स्कूल और कॉलेज में जा सकते हैं।*

अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजिये। उन्हें भी गाँव के और बच्चों की तरह शिक्षा दीजिए। विरोध तो होगा, लेकिन

आपको उसका मुकाबला करना होगा, तभी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पायेंगे। इसके लिए अपने बी.डी.ओ. या एस.डी.ओ. के पास जाइये और उनकी सहायता माँगिये।

पास के गाँव में जो एस.डी.ओ. आई हैं वे महिला हैं। वे अनुसूचित जाति की हैं। क्या उनके साथ जाति–भेद होता है ? नहीं। क्या लोग उन्हें अपने घर में नहीं आते देते ? अवश्य आने देते हैं। क्या उनका चपरासी जो ब्राह्मण है, उन्हें पानी नहीं पिलाता ? जरूर पिलाता है।

शिक्षा जातिभेद की लड़ाई का एक शस्त्र है।

उनकी शिक्षा और पद के कारण, उनका सभी से मेलजोल है। जो किसी पद पर होगा, वही अत्याचार भी रोक सकता है।

बच्चों को शिक्षा देने से वे बड़े होकर कुछ बन पायेंगे। शिक्षित होने से जाति–भेद होने की सम्भावना कम हो जाती है।

हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे ?

सबसे जरूरी–संगठित होना होगा, यानि मिलकर काम करना होगा।

- ❖ थाने में शिकायत लिखवानी होगी।
- ❖ शिकायत में – अपराधियों के नाम, पता, उनके द्वारा किये गये अपराध की पूरी जानकारी देनी होगी।

चेतावनी

अपृश्यता, छुआछूत, जाति–भेद कानूनी अपराध हैं। इन्हें करने से

- ❖ एक साल तक की कैद हो सकती है,
- ❖ पाँच सौ रूपये तक का जुर्माना हो सकता है,
- ❖ बार–बार अपराध करने पर सजा हर बार बढ़ सकती है।

दुकान, कुँआ, प्रभु का द्वार
इन पर है सबका अधिकार
रोक लगाओगे, पछताओगे
सरकार से कड़ी सजा पाओगे।

किसी को जाना हो मन्दिर में
भरना हो पानी कुँए से,
घाट पर चाहे हो नहाना
गाँव में बारात ले जाना।
जाति–भेद से रोक न देना
कड़ा दण्ड पड़ेगा पाना –
एक साल तक होगी कैद
और उस पर भरना जुर्माना

कमजोर जातियों के लिये एक विशेष कानून

हमारे देश में कुछ ऐसी जातियाँ व जनजातियाँ हैं जो आर्थिक व सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हैं। सरकार ने ऐसे जातियों व जनजातियों की एक सूची (लिस्ट) बनाई है ताकि इनकी सहायता के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें। इस सूची में दी गई जातियों व समुदायों को 'अनुसूचित जाति' व 'अनुसूचित जनजाति' कहा जाता है। आपके जिले के सरकारी अधिकारी जैसे कलैक्टर, बी.डी.ओ. आदि के पास यह सूची होती है।

अक्सर ऊँची जाति के लोग अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों के साथ बहुत ही भद्दा व अमानवीय व्यवहार करते हैं। इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए एक कानून बनाया गया है। इस कानून को **'अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति' (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989'** कहते हैं। यह कानून कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ यदि कोई भद्दा व्यवहार करता है तो उसे सजा व जुर्माना हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का भी हकदार होगा।

यदि इनमें से कोई भी अत्याचार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य या सदस्यों के साथ किया जाता है तो उन्हें तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस अपराधी के खिलाफ

मुकदमा दर्ज करेगी। अपराध साबित होने पर अपराधी को जेल की सजा व जुर्माना होगा। यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को शंका है कि कोई व्यक्ति उन पर अत्याचार कर सकता है तो वह इसकी रिपोर्ट पुलिस में तुरन्त करें। अदालत उस व्यक्ति को दो साल तक उस क्षेत्र से बाहर रहने का आदेश देगी। सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में इस तरह के मुकदमों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें बनाई हैं। यह विशेष अदालतें अधिकतर जिला सैशन कोर्ट होती हैं। सरकार इन मुकदमों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती है। सरकार मुकदमें का तथा पीड़ित व्यक्ति के आने–जाने का खर्च भी देती है। इन अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति आर्थिक मुआवजे का हकदार है। मुआवजे की रकम उस व्यक्ति की हुई हानि पर निर्भर करती है। यह मुआवजा अदालत द्वारा भी दिया जाता है।

क्र.सं.	अपराध	सजा
1.	❖ उनको कोई भी ऐसी चीज खाने या पीने को मजबूर करना जो खाने पीने के लायक नहीं है। ❖ उनके अहाते में किसी भी तरह की गंदगी जैसे गोबर, मरे हुए पशु आदि फेंकना।	रू. 25,000 या ज्यादा
2.	उन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का होने के कारण अपमानित करना।	रू. 25,000
3.	किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें नंगा करके या उनके मुँह व शरीर को रंगकर अपमानित करना।	मुआवजे का 25% जब अदालत में चालान भेजा जाता है तथा मुआवजा का 75% जब अपराधी को निचली अदालत से सजा हो जाती है।
4.	गैर कानूनी ढंग से उनकी जमीन को हथियाना और उन्हें उनके घर से निकालना।	रू. 25,000 या ज्यादा
5.	उनसे धोखे से या दबाव से बेगार काम करवाना या बंधुआ मजदूर बनाना।	कम से कम 25,000 रूपया या मुआवजे का 25% एफआईआर दर्ज होने के समय मुआवजे का 75% निचली अदालत से सजा होने पर।

6.	उन्हें वोट देने से रोकना या किसी व्यक्ति विशेष को वोट देने के लिए मजबूर करना।	रू. 20,000 या ज्यादा
7.	किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को शारीरिक या मानसिक ढंग से तंग करना। अपनी शक्तिशाली स्थिति का फायदा उठाकर इन महिलाओं को परेशान करना।	मुआवजे की कुल रकम रू. 50,000। 50% डाक्टरी जांच के बाद और केस 50% केस खत्म होने के बाद मिलेगा।
8.	उन पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाना।	25,000 या मुकदमे में हुआ खर्च।
9.	उनके पीने के पानी के स्रोत जैसे कुँए झरने आदि को गन्दा करना।	रू. 1,00,000 की रकम या दुबारा सारी सुविधायें मुहैया करवाने और सफाई कराने का खर्चा।
10.	उन्हें उनके घर और गाँव से निकलने को मजबूर करना।	रू. 25,000 की रकम और उनको दुबारा बसाने की व्यवस्था।
11.	उन्हें परम्परा के अनुसार सार्वजनिक रास्तों व स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना।	रू. 1,00,000 की रकम और उनको दुबारा से वही सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था। मुआवजे का 50% चालान दर्ज होने पर और 50% सजा होने पर मिलेगा

12.	झूठी गवाही देना ❖ ताकि उन्हें फांसी की सजा हो।	रू. 1,00,000 या नुकसान और चोट का पूरा खर्च। मुआवजे का 50% चालान दर्ज होने के समय और मुआवजे का 50% निचली अदालत से सजा होने पर मिलेगा। अगर किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को इस झूठी गवाही के कारण फांसी की सजा हो जाती है तो अपराधी को भी फांसी की सजा होगी।
	❖ उन्हें सात साल या उम्र कैद की सजा हो।	छह महीने से या सात साल से ज्यादा तक की सजा और जुर्माना रू. 1,00,000 या नुकसान और चोट का पूरा खर्च। मुआवजे का 50% चालान दर्ज होने के समय और मुआवजे का 50% निचली अदालत से सजा होने पर मिलेगा।
13.	पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाना।	उम्र कैद और जुर्माना।

14.	ऐसा अपराध करना जिसकी सजा भारतीय दण्ड संहिता में 10 साल या ज्यादा हो।	रू. 50,000 या ज्यादा
15.	किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उनको पीड़ा पहुँचाना।	क्षति के अनुसार मुआवजा जिसमें से 50% चालान दर्ज होने के समय और मुआवजे का 50% निचली अदालत से सजा होने पर मिलेगा। कम से कम 1 साल की सजा या पीड़ा पहुंचाए जाने में किए गए अपराध के बराबर की सजा।
16.	100% अपाहिज 1. घर का सदस्य जो कमाता नहीं है	नुकसान का पूरा मुआवजा। मुआवजे का 50% चालान दर्ज होने के समय और 50% सजा के समय मिलेगा।
	2. घर का सदस्य जो कमाता हो।	कम से कम 1,00,000 रू.। मुआवजे का 58% एफ.आई.आर. के समय, 25% चालान दर्ज होने के समय और 25% सजा होने पर।

	100% से कम अपाहिज हो	1. और 2. में दी गई रकम से कम और 15,000 जो कमाता न हो। रूपये 30,000 जो कमाता हो।
17.	हत्या / मृत्यु 1. जो कमाता नहीं है।	कम से कम रू. 1,00,000। मुआवजे का 75% पोस्टमार्टम के बाद और 25% निचली अदालत में सजा होने पर।
	2. जो कमाता है	कम से रू. 2,00,000। मुआवजे का 75% पोस्टमार्टम के बाद और 25% निचली अदालत में सजा होने पर।
18.	हत्या / मृत्यु / बलात्कार / सामूहिक बलात्कार / स्थायी अपाहिज और डाका	ऊपर बताई गई राहत के अलावा दूसरी सहायता तीन महीने के अन्दर–अन्दर मिलेगी। विधवा और दूसरे आश्रितों को पैंशन रू. 1,000 प्रति माह या एक सदस्य को काम या खेती के लिये जमीन की, घर

		इत्यादि की सुविधा। क. बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, आश्रम या निवासी विद्यालयों में दाखिला। ख. बर्तन, चावल, गेंहू, दालें इत्यादि तीन महीने के लिये।
18.	पूरा नुकसान/घर जलना।	ईटें/पत्थर और घर बनाने का सामान सरकारी खर्चे पर उपलब्ध करवाना।

आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार किये गये अत्याचार की शिकायत राष्ट्रीय या अपने राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में कर सकते हैं।

पता है :– **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग**

5वीं, मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 011–24632298, 011.24620435
टोल फ्री नम्बर : 1800117777

राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

मुख्यालय और क्षेत्राधिकार	कार्यालय फोन नम्बर	पता
अगरतला (त्रिपुरा)	0381-2223140, 2315967	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, प्रगति रोड, लेक चोमोहानी, अगरतला–799001 त्रिपुरा पश्चिम
अहमदाबाद (गुजरात एवं दादर और नगर हवेली)	079-5509762, 5510717, 25509762, 25510717	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, द्वितीय तल, मावलंकर हवेली, लाल दरवाजा, अहमदाबाद–380001
बैंगलोर (कर्नाटक)	080-25537155 25527767	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, तृतीय तल, 'डी' विंग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, केन्द्रिय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर – 560034

भुवनेश्वर (उड़ीसा)	0674-2551616 0674-2551818	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, एन. 1/297, आई. आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर–751015
जयपुर (राजस्थान)	0141-2743199 0141-2741173 (फैक्स)	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सी–29, लाल कोठी स्कीम, एस.एम.एस स्टेडियम के पीछे, पंकज सिदरी मार्ग, जयपुर – 302015
लखनऊ (उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल)	0522-2762816 2508424	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पांचवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ (ऊत्तर प्रदेश)
चेन्नई (महाराष्ट्र गोवा और दमन)	020-4337510 24337510 24336124	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, चिपलुनकर भवन, नवीपेठ, शास्त्री मार्ग, पुणे – 411030
शिलौंग (मेघालय और मिजोरम)	0364-2504202 0364-2221362	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, टैम्पल रोड, लोवर लाचूमायर शिलौंग – 793001

त्रिरूवन्तपुरम् (केरल व लक्ष्य द्वीप)	0471-2327530	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 15/1658, 'कान्दला' एम.पी. अपन रोड, वाजुथाकाड जंक्शन, त्रिरूवन्तपुरम–695014
भोपाल (मध्य प्रदेश)	0755-2576530 0755-2578272	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 309, निर्मल सदन, सी. जी.ओ. बिल्डिंग 52, अरेरा, भोपाल–462011
कोलकाता (पश्चिम बंगाल, सिक्किम और निकोबार द्वीप समूह)	033-2337097 2343259	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, मैयुख भवन, ग्राउण्ड तल, साल्ट लेक सिटी कोलकाता – 700091
चण्डीगढ़ (हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर और चण्डीगढ़)	0172-742561 2742561 2743784	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, छठा तल, केन्द्रिय सदन सैक्टर 9–ए, चण्डीगढ़
गुवाहाटी (आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागलैंड और मणिपुर)	0361-2347040 2346885	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, द्वितीय तल, वी.एन. इन्टरप्राइजिस बिल्डिंग, क्रिश्चियन बस्ती, जी. एस. रोड, दिसपुर गुवाहाटी – 741005

हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	040-23354907 23350237	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, फ्लैट नम्बी 103, तेजस्वी अपार्टमेन्ट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी कॉलोनी, पांगुटटा, हैदराबाद – 500008
रायपुर (छत्तीसगढ़)	0771-2443334	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, आर. 26, सेक्टर–2, अवन्ती विहार, पोस्ट ऑफिस, रविग्राम, रायपुर – 492006 (छत्तीसगढ़)
राँची (झारखण्ड)	0651-2341677	राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 14, न्यू ए.जी. कॉपरेटिव कॉलोनी, कडरू, राँची (झारखण्ड)

यदि आपके राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग नहीं बना है तो आप सभी एकजुट होकर अपने राज्य सरकार से इस आयोग को बनाने की मांग करें।

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली